भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3476
उत्तर देने की तारीख 20 दिसंबर, 2021
सोमवार, 29 अग्रहायण,1943 (शक)

उत्तर-पूर्व में कौशल विकास

3476 कुमारी अगाथा के. संगमा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास हेतु कोई स्कीम लागू करने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने इस क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास के लिए मंत्रालय और अन्य हितधारकों के समन्वय के साथ कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो शुरू की गई पहलों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसका ब्योरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क)

I. सरकार ने वंचित क्षेत्रों, राज्यों और कौशल क्षेत्रों सहित देश भर में रहने वाले लोगों के समग्र कौशल विकास के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है। मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित पूरे भारत में समाज के सभी वर्गों के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन स्कीम (एनएपीएस), अल्पकालिक कौशल प्रदान करने के लिए और दीर्घावधि प्रशिक्षण के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस), लागू कर रहा है। कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंडों के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित एकीकृत कार्य योजना के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायता/विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण, आधार लागत के अतिरिक्त, आधार लागत के 10% के बराबर अतिरिक्त राशि की अनुमति दी जानी चाहिए। जेएसएस के तहत, अ.जा.अ.ज.जा., दिव्यांगजन और बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क माफ किया जाता है और सीटीएस के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ देश के बाकी हिस्सों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नीति के अनुसार लाभ दिया जाता है।

पीएमकेवीवाई के सीएससीएम भाग के कार्यान्वयन का विवरण **अनुबंध-I**पर है।

II. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भी कौशल विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित स्कीमों को लागू कर रहा है:

मौजूदा सरकारी आईटीआई का आदर्श आईटीआई में उन्नयन: राज्यों में मौजूदा सरकारी आईटीआई को आदर्श आईटीआई में उन्नत करने के लिए लिया गया है, जिसे सर्वोत्तम प्रथाओं, कुशल और उच्च

गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण वितरण और टिकाऊ और प्रभावी उद्योग संबंधों को प्रदर्शित करने वाली संस्था के रूप में विकसित होना चाहिए। स्कीम के तहत जारी आईटीआई फंड का विवरण **अनुबंध-II**में दिया गया है।

यह विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित स्कीम भी चला रहा है:

पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना: इस योजना में प्रत्येक आईटीआई में तीन नए ट्रेडों को शुरू करके 22 मौजूदा सरकारी आईटीआई के उन्नयन के साथ 34 नए आईटीआई की स्थापना की परिकल्पना की गई है और 28 आईटीआई में नए छात्रावास, चारदीवारी का निर्माण करके और पुराने और अप्रचलित औज़ारों को बदलकर बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा किया गया है। स्कीम के तहत जारी किए गए कवरेज और निधि का विवरण **अनुबंध-III**में दिया गया है।

III. मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित भारत में कुशल जनशक्ति तैयार करने के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में शिक्षुता पर ध्यान केंद्रित किया है और एमएसएमई सहित अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचने और शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) शुरू की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और शिक्षुओं के नामांकन में वृद्धि करना है। एनएपीएस के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों और जारी की गई निधि का विवरण **अनुबंध-IV**में दिया गया है।

IV. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरों, नव-साक्षरों के साथ-साथ स्कूल छोड़ने वालों को उस क्षेत्र में प्रासंगिक बाजार वाले कौशल की पहचान करके व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारत की दो-तिहाई से अधिक आबादी में ग्रामीण नागरिक शामिल हैं। जेएसएस का उद्देश्य आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके इस ग्रामीण आबादी का आर्थिक रूप से उत्थान करना है, जिससे स्थानीय व्यापारों को बढ़ने और क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए नए अवसर पैदा करने में सक्षम बनाया जा सके। जेएसएस स्कीम के तहत प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) को जारी सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध-V**में संलग्न है।

V. एमएसडीई का उद्देश्य अपने आकांक्षी जिलों के परिवर्तन कार्यक्रम के माध्यम से जिलों में कौशल विकास के लिए चुनौतियों की पहचान करना है और इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अनुकूलित समाधानों का सह-निर्माण करना है। यह कार्यक्रम 28 राज्यों में पहचाने गए 117 जिलों को तेजी से बदलने पर केंद्रित है। एमएसडीईके तहत विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस), शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) को आकांक्षी जिलों सहित पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। संकल्प के तहत 117 आकांक्षी जिलों को केंद्रीय हिस्से के रूप में प्रति आकांक्षी जिले के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। एनईआर में जिलों के लिए **अनुबंध-VI**देखा जा सकता है।

VI. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, 'समग्र शिक्षा - स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत स्कीम', एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण की स्कीम को लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य सभी माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना है; छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाना, काम का वातावरण बनाना और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना ताकि वे अपनी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार चुनाव कर सकें। इस योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं।

VII. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश के सांविधिक शहरों में "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों की गरीबी और भुखमरी को स्थायी आधार पर कम किया जा सके। डीएवाई-एनयूएलएम के घटक कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (ईएसटीपी) के माध्यम से रोजगार के तहत शहरी गरीबों को मजदूरी रोजगार और/या स्वरोजगार के अवसरों में स्थान देने के लिए बाजार-उन्मुख प्रमाणित पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-VII**में है।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) कोविड योद्धाओं के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रदाता है। इस कार्यक्रम को पीएमकेवीवाई के तहत डिजाइन और लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य और रसद क्षेत्र में लक्षित लाभार्थियों को कौशलीकरण, पुन: कौशलीकरण और कौशल उन्नयन प्रदान करना है। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:

(i) **घटक 1:** 6 (छह) स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के जॉब रोल्स में उम्मीदवारों का नवीन कौशलीकरण। इस विशेष परियोजना प्रशिक्षण की प्रशिक्षण अवधि लगभग 21 दिनों की सिद्धांत-आधारित, कक्षा प्रशिक्षण की होगी, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, नैदानिक सुविधा, नमूना संग्रह केंद्र, आदि जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं में लगभग 90 दिनों का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजीटी) होगा।

(ii) **घटक 2:** पूर्व अनुभव/पूर्व शिक्षण वाले उम्मीदवारों के लिए कौशल उन्नयन। इस घटक के तहत प्रशिक्षण मूल 6 जॉब रोल्स पर ब्रिज कोर्स के रूप में लगभग एक सप्ताह की अवधि का होगा।

(iii) **घटक 3:** तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) की देख-भाल और परिवहन में ड्राइवरों का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की अवधि 217 घंटे/27 दिनों की होगी। एलएमओ के परिवहन के दौरान 'रक्षात्मक ड्राइविंग' पर ध्यान देने के साथ-साथ खतरनाक रसायनों के साथ-साथ एलएमओ के परिवहन में एचएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण इस प्रकार है:

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	नामांकित उम्मीदवार	कुल प्रशिक्षित	प्रशिक्षण जारी	आकलन में आकलित का योग 1	ओजेटी नामांकित	बैच नामांकित	राज्यों की संख्या जहां बैचों को नामांकित किया गया है	जिलों की संख्या जहां बैचों को नामांकित किया गया है
कोविड योद्धाओं के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	1334	1316	18	705	592	69	6	10
कुल योग		**1334**	**1316**	**18**	**705**	**592**	**69**	**6**	**10**

<u>अनुबंध-I</u>

'उत्तर-पूर्व में कौशल विकास' के संबंध में 20.12.2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3476 के उत्तर के संदर्भ में।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत उत्तर-पूर्व में प्रशिक्षितों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 सीएससीएम (कोविड क्रैश कोर्स सहित) 21-नवंबर -21 तक एसआईपीरिपोर्ट के अनुसार उत्तर-पूर्व क्षेत्र का अद्यतन										
		पीएमकेवीवाई 2.0-सीएससीएम			पीएमकेवीवाई 3.0-सीएससीएम			पीएमकेवीवाई 2.0 (सीएससीएम)+ पीएमकेवीवाई 3.0 (सीएससीएम)		
घटक	वित्त वर्ष	प्रशिक्षित/ उन्मुख	प्रमाणित	नियोजित	प्रशिक्षित/उन्मुख	प्रमाणित	नियोजित	कुल प्रशिक्षित/ उन्मुख	कुल प्रमाणित	कुल नियोजित
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	वित्त वर्ष-16-17	2,402	591	88	-	-	-	2,402	591	88
	वित्त वर्ष-17-18	39,408	28,638	10,990	-	-	-	39,408	28,638	10,990
	वित्त वर्ष-18-19	24,074	20,666	12,533	-	-	-	24,074	20,666	12,533
	वित्त वर्ष-19-20	59,577	47,284	23,426	-	-	-	59,577	47,284	23,426
	वित्त वर्ष-20-21	71,211	52,665	13,514	245	-	-	71,456	52,665	13,514
	वित्त वर्ष-21-22	1,852	8,889	11,272	5,724	384	168	7,576	9,273	11,440
	कुल एसटीटी	**1,98,524**	**1,58,733**	**71,823**	**5,969**	**384**	**168**	**2,04,493**	**1,59,117**	**71,991**
विशेष परियोजना (एसपीएल)	वित्त वर्ष-16-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	वित्त वर्ष-17-18	624	499	270	-	-	-	624	499	270
	वित्त वर्ष-18-19	1,638	926	10	-	-	-	1,638	926	10
	वित्त वर्ष-19-20	6,355	5,112	1,314	-	-	-	6,355	5,112	1,314
	वित्त वर्ष-20-21	11,123	5,730	1,579	-	-	-	11,123	5,730	1,579
	वित्त वर्ष-21-22	-	2,226	3,047	2,572	-	-	2,572	2,226	3,047
	कुल एसपीएल	**19,740**	**14,493**	**6,220**	**2,572**	**-**	**-**	**22,312**	**14,493**	**6,220**

पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	वित्त वर्ष-16-17	12,111	9,222	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं	12,111	9,222	लागू नहीं
	वित्त वर्ष-17-18	22,826	22,411	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं	22,826	22,411	लागू नहीं
	वित्त वर्ष-18-19	31,971	19,383	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं	31,971	19,383	लागू नहीं
	वित्त वर्ष-19-20	2,19,325	1,11,145	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं	2,19,325	1,11,145	लागू नहीं
	वित्त वर्ष-20-21	4,06,653	3,32,255	लागू नहीं	901	-	लागू नहीं	4,07,554	3,32,255	लागू नहीं
	वित्त वर्ष-21-22	-	21,266	लागू नहीं	4,189	546	लागू नहीं	4,189	21,812	लागू नहीं
	RPL Total	**6,92,886**	**5,15,682**	**लागू नहीं**	**5,090**	**546**	**लागू नहीं**	**6,97,976**	**5,16,228**	**लागू नहीं**
कुल पीएमकेवीवाई सीएससीएम		**9,11,150**	**6,88,908**	**78,043**	**13,631**	**930**	**168**	**9,24,781**	**6,89,838**	**78,211**

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में उत्तर-पूर्व क्षेत्र का निधि आवंटन नीचे सारणीबद्ध है:

	2019-20	**2020-21**
स्कीम का नाम	**आवंटित निधि**	**आवंटित निधि**
उत्तर-पूर्व (सिक्किम सहित)	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए एनएसडीसी को सीएससीएम घटक के तहत पीएमकेवीवाई 2.0 उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 407.16 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी और 352.76 करोड़ रुपए का विधिवत उपयोग किया गया है।	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए एनएसडीसी कोसीएससीएमघटक के तहत पीएमकेवीवाई 2.0 उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 407.16 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी और 352.76 करोड़ रुपए का विधिवत उपयोग किया गया है।

<u>अनुबंध-II</u>

मौजूदा सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन: स्कीम के तहत जारी की गई धनराशि का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)												
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आईटीआई की स्थान**	**केंद्रीय आवंटन**	**वित्त वर्ष 14-15 में जारी धनराशि**	**वित्त वर्ष15-16 में जारी धनराशि**	**वित्त वर्ष 16-17 में जारी धनराशि**	**वित्त वर्ष 17-18 में जारी धनराशि**	**वित्त वर्ष 18-19 में जारी धनराशि**	**वित्त वर्ष 19-20 में जारी धनराशि**	**वित्त वर्ष 20-21 में जारी धनराशि**	**वित्त वर्ष 21-22 में जारी धनराशि**	**अब तक जारी कुल धनराशि**
1.	असम	आईटीआई जोरहाट	**783.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195.75**
2.	अरुणाचल प्रदेश	आईटीआई यूपीया	**392.00**	**0.00**	**0.00**	**98.00**	**0.00**	**97.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195.75**
3.	सिक्किम	आईटीआई नामची	**450.00**	**0.00**	**175.50**	**49.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180.00**	**0.00**	**405.00**
4.	त्रिपुरा	आईटीआई इंदिरानगर (महिला)	**720.00**	**111.06**	**0.00**	**0.00**	**248.94**	**0.00**	**0.00**	**193.25**	**0.00**	**553.25**
योग			**2345.00**	**111.06**	**175.50**	**147.50**	**444.69**	**97.75**	**0.0**	**373.25**	**0.0**	**1349.75**

*उत्तर-पूर्व मेंकेंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10अनुपात है

अनुबंध-III

पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास के अवसंरचना को बढ़ाना: स्कीम के तहत शामिल घटक-वार विवरण निम्नलिखित है:-

राज्य	उन्नयन के तहत शामिल आईटीआई	कमी वाले अवसंरचना के पूरक के तहत शामिल किए गए आईटीआई
मेघालय	सोहरा, रेज़ूबेलपारा, नोंगस्टोइन,नोंग्पो	सोहरा, रेज़ूबेलपारा, नोंगस्टोइन,नोंग्पो
मणिपुर	फाकनंग, सेनापति, ताकील (पश्चिम)	इंफाल, फाकनंग, सेनापति, तामेंगलोंग, निंगथौखोंग, काकचिंग, चंदेल, उखरूल
असम	जोरहाट, श्रीकोना, माजुली, गुवाहाटी, नगांव, सिलचर (पश्चिम)	लखीमपुर
त्रिपुरा	इंदिरानगर	बेलोनिया
अरुणाचल प्रदेश	युपिया, बालिनोंग, दिरांग,	दिरांग, रोइंग, तबरिजो
नगालैंड	दीमापुर, कोहिमा	ज़ुहेनबोटो, त्युएनसुंग, सोम, मोकोकचुंग, कोहिमा
सिक्किम		रंगपो, नामची, ग्याशीलिंग
मिजोरम	आइजोल, लुंगलेई, सियाहा	आइज़ोल,लुंगलेई, साइहा

- ईएसडीआई स्कीम के तहत नए आईटीआई की स्थापना के लिए शामिल राज्य-वार ब्योरा:

क्र. सं.	राज्य	क्र.सं.	शामिल किए गए जिले	आईटीआई का नाम
1	अरुणाचल प्रदेश (9)	1	पापुम पारे	न्यू सागली
		2	जीरो (लोअर सुबनसिरी)	मनिपोलिआंग
		3	पूर्वी सियांग	मिपांग
		4	लॉन्गडिंग	कनुबरीक
		5	तवांग	तवांग
		6	पूर्वी कामेंग	पूर्वी कामेंग
		7	कुरुंगकुमे	कुरुंगकुमे
		8	वेस्ट सिआंगो	वेस्ट सिआंगो
		9	नमसाईं	नमसाईं
2	नगालैंड (4)	1	पेरेन	पेरेन
		2	दीमापुर	दीमापुर
		3	लॉन्गलेंग	लॉन्गलेंग
		4	किफायर	किफायर
3	असम (5)	1	नलबाड़ी	नलबाड़ी

		2	बोंगईगांव	अभयपुरी
		3	जोरहाट	जोरहाट
		4	तिनसुकिया	काकोपाथारो
		5	सोनितपुर	रंगपुरा
4	मणिपुर (4)	1	इंफाल पूर्व	सेकमाई
		2	सेनापति	कांगपोकपी
		3	फेरज़ावली	फेरज़ावली
		4	नोनी	नोनी
5	मिज़ोरम (3)	1	सेरछिप	सेरछिप
		2	चम्फाई	चम्फाई
		3	कोलासिब (थिंगद्वाल)	कोलासिब (थिंगद्वाल)
6	सिक्किम (3)	1	दक्षिण जिला	क्यूजिंग
		2	सोकीथांग	सोकीथांग
		3	पश्चिम सिक्किम	पश्चिम सिक्किम
7	त्रिपुरा (3)	1	उत्तर त्रिपुरा	कंचनपुर
		2	धलाई	गंडाचेर्रा
		3	दक्षिण त्रिपुरा	संतिरबाजारी
8	मेघालय (3)	1	दक्षिण पश्चिम गैरो पहाड़ी	अम्पति
		2	दक्षिण पश्चिम खासी पहाड़ी	मॉकिरवाटो

"उत्तर-पूर्व राज्यों में कौशल विकास के अवसंरचना को बढ़ाना" स्कीम के तहत जारी आवंटन धनराशि और निधि":

लाख रुपए में (केंद्रीय हिस्सा)							
क्र.सं.	राज्य	आवंटन	पिछले तीन वर्षों में जारी निधि				स्कीम की शुरुआत के पश्चात जारी किया गया निधि
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	अरुणाचल प्रदेश	8928.13	1400	1317.82	0	831.60	6458.33
2	नगालैंड	4640.79	16.64	1266.54	83.16	442.80	4134.59
3	सिक्किम	3161.56	0	459.26	296.67	283.83	1961.49
4	मणिपुर	5362.31	0	0	1187.17	207.90	3108.73
5	मिजोरम	3921.82	17.86	0	207.9	0.00	2627.89
6	मेघालय	3771.94	0	876.27	0	0.00	1629.86
7	असम	5804.5	0	0	0	0.00	2352.34
8	त्रिपुरा	3005.48	0	286.09	0	0.00	2915.24
	योग	38596.53	1434.5	4205.98	1774.9	1766.13	25188.47

<u>अनुबंध-IV</u>

उत्तर-पूर्व राज्यों में एनएपीएस के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या:

राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	14
असम	295	650	1115	2203	2831	2495	2781
मणिपुर	0	5	5	0	9	8	27
मेघालय	0	0	3	40	29	52	42
मिजोरम	0	0	0	0	4	4	1
नगालैंड	0	0	0	0	12	12	10
सिक्किम	30	30	2	10	66	40	32
त्रिपुरा	2	46	1	923	346	354	114
योग	**327**	**731**	**1126**	**3176**	**3297**	**2965**	**3021**

<u>एनईटी राज्यों को आवंटित धनराशि:</u>

सिक्किम:
2016-17: 0.045करोड़
2019-20: 0.098करोड़

त्रिपुरा:
2016-17: 0.001करोड़

नोट:सिक्किम और त्रिपुरा को धनराशि आवंटित किया गया। अन्य उत्तर-पूर्व राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए धनराशि जारी नहीं की गई थी।

<u>अनुबंध-V</u>

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-2022 (नवंबर 2021 तक) के चार वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में **जेएसएस स्कीम** के तहत प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22 (2021 नवंबर तक)**
अरुणाचल प्रदेश	156	570	0	0
असम	3923	9243	8883	2040
मणिपुर	1937	5387	5327	2107
मेघालय*	_	_	_	0
मिजोरम*	_	_	_	0
नगालैंड	660	1800	1800	1079
त्रिपुरा	646	1631	1101	314
सिक्किम*	_	_	_	0
कुल	**23373**	**56654**	**52213**	**19715**
सकल योग	**151955**			

** वित्त वर्ष 2021-22 में जारी नए जेएसएस*

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में जेएसएस स्कीम के अंतर्गत जारी कुल अनुदान सहायता:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2018-19 में जारी किया गया कुल अनुदान सहायता**	**वित्त वर्ष 2019-20 में जारी किया गया कुल अनुदान सहायता**	**वित्त वर्ष 2020-21 में जारी किया गया कुल अनुदान सहायता**	**वित्त वर्ष 2021-22 में जारी किया गया कुल अनुदान सहायता**
अरुणाचल प्रदेश	16,89,551	50,00,000	-	-
असम	1,52,50,000	2,46,98,537	2,45,98,874	1,20,08,301
मणिपुर	91,21,019	1,49,99,520	1,49,91,052	74,58,581
मेघालय*	_	_	_	-
मिजोरम*	_	_	_	-
नगालैंड	24,42,640	50,00,000	49,99,200	24,97,452
त्रिपुरा	30,50,000	46,47,037	47,76,508	13,95,091
सिक्किम*	_	_	_	-
योग	**3,15,53,210**	**5,43,45,094**	**4,93,65,634**	**2,33,59,425**
सकल योग	**15,86,23,363**			

** वित्त वर्ष 2021-22 में जारी नए जेएसएस*

<u>अनुबंध-VI</u>

<u>'उत्तर-पूर्व में कौशल विकास' के संबंध में 20.12.2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3476 के उत्तर के संदर्भ में।</u>

क्र.सं.	**राज्य**	**दिनांक को जारी**	**राशि रुपए में**
क	**आकांक्षी कौशल अभियान (एएसए)**		
	अरुणाचल प्रदेश	12.11.2018	10,00,000.00
	असम	12.11.2018	70,00,000.00
	मणिपुर	12.11.2018	10,00,000.00
	मेघालय	12.11.2018	10,00,000.00
	मिजोरम	28.12.2018	10,00,000.00
	सिक्किम	12.02.2019	10,00,000.00
	त्रिपुरा	12.10.2018	10,00,000.00
	योग क		**1,40,00,000.00**

अनुबंध-VII

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की वर्ष-वार संख्या को दर्शाता है:

क्र. सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (15.11.2021 तक)**	**योग**
1	अरूणाचलप्रदेश	0	146	1367	989	518	0	0	**3020**
	असम	1	2812	3247	2396	1648	689	1971	**12764**
3	मणिपुर	0	0	0	364	72	55	57	**548**
4	मेघालय	0	0	252	317	24	49	162	**804**
5	मिजोरम	0	473	236	5044	432	1095	568	**7848**
6	नगालैंड	0	0	0	11	86	149	163	**409**
7	सिक्किम	280	2281	0	733	0	0	0	**3294**
8	त्रिपुरा	0	0	699	1138	148	109	0	**2094**
योग		**281**	**5712**	**5801**	**10992**	**2928**	**2146**	**2921**	**30781**

****